भारतीय राजनीति पर जाति व्यवस्था का प्रभाव

डॉ. अशोक

ओपन स्कॉलर, समाजशास्त्र विभाग

जींद, हरियाणा, भारत

Email ID: ashokkaushik0503@gmail.com

Accepted: 16.05.2022 **Published**: 01.06.2022

कीवर्ड: जाति, लोकतंत्र, अनुसूचित जाति, दलित।

सार

भारत में जाति व्यवस्था प्राचीन काल से ही निर्मित और प्रमुख है और यह भारत माता के विकास में एक असाधारण थीस्ल के रूप में बनी हुई है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कार्यात्मक समूह हो सकती है, जिन्हें वर्ण कहा जाता है, जिनकी उत्पत्ति आर्य समाज में हुई है।

ऋग्वेद गीत के अनुसार, विभिन्न वर्ग सृष्टिकर्ता के चार उपांगों से उत्पन्न हुए हैं। सृष्टिकर्ता का मुंह ब्राह्मण मंत्रियों में बदल गया, उसकी दो भुजाओं ने राजन्य (क्षत्रियों), सेनानियों और राजाओं को गढ़ा, उसकी दो जांघों ने वैश्य, जमींदारों और जहाजों को आकार दिया, और उसके पैरों से शूद्र (अछूत) शिल्पकारों और श्रमिकों की कल्पना की गई। फिर, यह स्वीकार किया जाता है कि ब्राह्मणों द्वारा अपनी प्रधानता को संप्रेषित करने के लिए जाति व्यवस्था को अपनाया गया था। जिस समय आर्य जातियाँ भारत में प्रवेश कर चुकी थीं, उन्हें अपनी प्रधानता के साथ बने रहने की आवश्यकता थी, इस प्रकार वे जाति व्यवस्था के साथ बने रहे।

लगातार, जाति व्यवस्था को चार महत्वपूर्ण समूहों में औपचारिक रूप दिया गया, प्रत्येक के अपने सिद्धांतों और दिशानिर्देशों और नियमों के सेट के साथ, जो आज तक सक्रिय रूप से अभ्यास किया जा रहा है और यह वह स्थान है जहां एक तरफ भारतीय संस्कृति के इतिहास को बचाता है; फिर से देश के विकास में बाधक है। यह बहुत स्पष्ट है कि, रणनीतियों का वर्तमान आयोजन और परिभाषा चक्र हमारे समाज के पूर्व मानकों और डिजाइनों के अधीन हैं। दिन के अंत में, किसी भी भूमि की संस्कृति का इतिहास उसकी वर्तमान संरचना की रीढ़ के रूप में खेलता है। इस प्रकार, जाति भारत के इतिहास के सबसे अधिक ध्यान देने योग्य तत्वों में से एक है, इसलिए वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में इसकी उपस्थिति के उत्कीर्णन का संदर्भ स्वयं स्पष्ट है। यह पत्र भारतीय राजनीति पर जाति व्यवस्था के प्रभाव पर प्रकाश डालता है।

कागज पहचान

परिचय

भारत में चुनावी लोकतंत्र के विकास ने एक अत्यंत परिपक्व आधार बनाया। जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है फिर भी यह वास्तव में आगे बढ़ रही है। अंग्रेज भारत की सामाजिक

वास्तविकता को समझने के लिए जाति को क्रिस्टल मानते थे। जाति भारत में अपने स्तर की वकालत करने के लिए एक उपकरण में बदल गई। इसने लोगों के बीच जातिगत संघर्ष को प्रेरित किया। मैत्रीपूर्ण जागरूकता में जाति भी धड़कने लगी। इस प्रकार भारतीय समाज में जाति का विकास होने लगा। वर्तमान संविधान ने 1976 (नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम) में अस्पृश्यता को अतिरिक्त रूप से समाप्त कर दिया, सीटों का आरक्षण जो अंततः जाति के अतिरिक्त ठोसकरण के बारे में लाया। [1]

भारत में जाति और जातिवाद कभी गायब नहीं हुआ। माइरॉन वीनर का "राजनीतिक सहयोग" का विचार असाधारण रूप से लागू हुआ। कांग्रेस और विभिन्न दलों द्वारा अपनाई गई राजनीतिक तैयारी की नीति ने भी कई निचली जातियों को पार्टी में शामिल किया। जाति के नैतिक आधार के विघटन के साथ, निचली जातियों द्वारा असहमति की जानबूझकर सीमा भी भंग हो गई थी। इस तरह कुछ केंद्र और निचली जातियों ने संस्कृतीकरण (बड़ी जातियों की रूढ़िवादिता की नकल करके) के माध्यम से उच्च जातियों के साथ निष्पक्षता की तलाश की, इसलिए अधिक राजनीतिक शक्ति की गारंटी दी। भारत में जाति के राजनीतिकरण ने दलगत राजनीति के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाति को राजनीति की जरूरत है लेकिन राजनीति को जाति की जरूरत है। जब भी जाति समूह राजनीति को अपनी गतिविधियों का चक्र बनाते हैं, तब जाति समूहों को भी अपने व्यक्तित्व की पुष्टि करने और स्थिति पर वार करने का अवसर मिलता है।

एक प्रमुख जाति एक जाति है जो गणितीय रूप से शासन करती है क्योंकि इसकी संख्यात्मक व्यापकता के कारण यह राजनीतिक शक्ति की सराहना करती है। राजनेता दौड़ के दौरान उपयोग के लिए जाति को एक सहायक और लाभप्रद साधन के रूप में देखते हैं। भारतीय राज्यों में राजनीति को राजनीतिक सत्ता के लिए महत्वपूर्ण जाति समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में भी देखा गया था। जाति को सार्वजनिक राजनीति को विभाजित करने के लिए भी कहा जाता है। [2]

जाति हर सामाजिक मुद्दे का सबसे उलझा हुआ गुच्छा है। भारतीय समाज का अनुमान लगाया जाता है। धर्म केवल एक दृढ़ विश्वास है और यह जीवन में कभी भी बदल सकता है, हालांकि जाति एक स्थिर कारक है जो किसी भी घटना में नहीं बदलता है, जब धर्म बदलता है। जब व्यवसाय बदलता है या आर्थिक भलाई में परिवर्तन होता है तो यह नहीं बदलता है कि जाति स्थिर रहती है। यह एक ओमेगा सम्मान जैसा दिखता है अनिवार्य रूप से एक ही चीज़ का अनुभव करने वाला एक साधारण स्थिर परिवर्तन।

जाति व्यवस्था समाज में बहुमुखी प्रतिभा को ध्यान में नहीं रखती है। यह मानते हुए कि किसी व्यक्ति का परिवार निम्न वित्तीय परतों से आता है, एक जाति व्यवस्था के मद्देनजर समाज में, उस व्यक्ति को उस सीमित स्तर के अंदर रहना होगा।

जाति व्यवस्था लोगों को पूर्वाग्रह, सामान्यीकरण और विभिन्न चीजों के प्रति अधिक प्रस्तुत करके समाज को प्रभावित करती है। रैंकिंग में ये अंतर अक्सर समाज के अंदर बहस का कारण बनते हैं। जाति व्यवस्था असंतुलन और बेईमानी से भरी हुई है। एक जाति के लोग दूसरों के साथ घुलने-मिलने के बिना कर सकते थे। ऐसे अनगिनत धर्मों, जातियों और उपजातियों में समाज का यह विभाजन भारतीय देश की एकता और ईमानदारी की पद्धति में आता है।

राजनीति में जाति महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि राजनीति असाधारण रूप से गला घोंटती है। इसकी प्रेरणा गारंटीकृत बंदों के लिए शक्ति प्राप्त करना है। तदनुसार, यह विशिष्ट राजनीतिक पदों को प्राप्त करने और संयोजित करने के लिए समाज में व्यापक निष्ठाओं का लाभ उठाता है; हमारे देश में राजनीति के उपरोक्त पाठ्यक्रम में सहयोग और मदद का मौखिककरण महत्वपूर्ण है।

जाति एक ऐसा जुड़ाव है जिससे लोग जुड़े हुए हैं। राजनीति और जाति के बीच का संबंध तदनुसार महत्वपूर्ण है और इस प्रक्रिया में दोनों इतनी गहनता से बातचीत करते हैं कि वे बदल जाते हैं। पार्टी के कार्यक्रम अतिरिक्त रूप से जातिगत निष्ठाओं में कटौती करते हैं और एक जाति के व्यक्तियों को

दार्शनिक संबद्धता के आधार पर अलग-थलग किया जा सकता है। [3]

इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जाति के राजनीतिकरण ने निचली जातियों और अन्य पिछड़े समूहों को विशेष रूप से भारत के दक्षिणी क्षेत्र में मदद की है। फिर भी, पूछताछ उभरती है: मेजबान राजनीतिक सभाएं, जो जाति, पहचान और धर्म के लिए विभिन्न समूहों को इकट्ठा करती हैं, उनके पास एक ऐसे समाज को प्राप्त करने का विकल्प होता है जो सरल और लोकलुभावन हो?

सब कुछ ध्यान में रखते हुए, ऐसी पार्टियों के प्रमुखों ने असमानतावादी व्यवस्था का लाभ उठाया, फिर भी दुर्भाग्य से उन्होंने अधिक नाजुक क्षेत्रों वाले आम लोगों पर बमबारी की है। निम्न और पिछड़ी जाति समूहों को तैयार करने वाले ये अग्रदूत लोगों के बड़े हिस्से को सुधार और उदारवाद के क्षेत्र से बाहर रखते हुए एक और प्रकार के प्रथम वर्ग में बदल गए हैं।

यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह के झुकाव ने भारतीय समाज को इस तथ्य के आलोक में पीड़ा दी है कि अग्रदूतों ने सामाजिक लोकतंत्र के आदर्श के लिए खाली बात की पेशकश की है। उच्च जाति समूहों ने निम्न और पिछड़ी जाति समूहों को पर्याप्त जगह नहीं दी है। वे अभी भी एक या दूसरी जाति या धर्म को देखते हुए एक असमान समाज के अपने दर्शन को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं।

भारतीय राजनीति पर जाति व्यवस्था का प्रभाव

जाति कारक भारत में चुनावी राजनीति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। विभिन्न निकायों के निर्वाचक मंडलों से अपने उम्मीदवारों को नामित करते समय राजनीतिक दल उस विशिष्ट मतदान जनसांख्यिकीय में नागरिकों के प्रतियोगी और कलाकारों की जाति को याद करते हैं। इस वजह से अप-एंड-कॉमर अपनी जाति के मतदाताओं के वोट प्राप्त करना सुनिश्चित करता है।

मुसलमानों से अभिभूत चुनावी क्षेत्रों में, मुस्लिम उम्मीदवारों को भेजा जाता है और जाटों से अभिभूत क्षेत्रों में जाट उम्मीदवारों को अवगत कराया जाता है। दरअसल, कांग्रेस, जनता दल, भाकपा और सीपीएम जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां भी अपने उम्मीदवारों को चुनने में जाति के तथ्य के बारे में सोचती हैं।

जाति भारतीय राजनीति में विभाजन और टिकाऊ शक्ति के रूप में कार्य करती है। यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कुछ निहित दलों के उदय का आधार देता है, जिनमें से प्रत्येक सत्ता की लड़ाई में किसी भी शेष समूह को प्रतिद्वंद्वी करता है। बार-बार यह सत्ता के लिए एक अस्वास्थ्यकर लड़ाई को प्रेरित करता है और किसी भी मामले में विघटनकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है, यह समूहों के व्यक्तियों के बीच एकता का स्रोत है और एक मजबूत शक्ति के रूप में कार्य करता है।

ग्रामीण भारत में, जहां ग्रामीण शक्ति का सामाजिक ब्रह्मांड 15 से 20 किमी के क्षेत्र तक सीमित है, जाति एकजुट करने वाली शक्तियों के रूप में कार्य करती है। यह मुख्य सभा है जिसे वे समझते हैं। जाति समूहों की उपस्थिति भी गुटबाजी को बढ़ावा देती है। भारतीय राजनीति में जाति एक कारक के रूप में है और यह दृढ़ता के साथ-साथ एक परेशानी कारक के रूप में कार्य करती है।

विभिन्न जाति समूह विभिन्न राजनीतिक सभाओं और उनके दर्शन के पीछे अपनी वफादारी की मेजबानी करते हैं। दुनिया में अपने परिचय से ही, एक भारतीय निवासी एक जाति प्राप्त करता है और एक विशिष्ट जाति समूह से एक व्यक्ति के रूप में बड़ा होता है। उनके पास या तो महान जातियों में से किसी एक के साथ या बुक कास्ट के लिए एक स्थान है। अपने राजनीतिक निर्देश, आचरण और दृढ़ विश्वास प्राप्त करने में बिताए गए समय के दौरान, वह आम तौर पर जाति समूहों और जातिवाद के प्रभाव में चला जाता है। [4]

सार्वजनिक प्राधिकरण के अच्छे प्रशासन और समाज के सुधार के लिए नीति का खुलासा करना एक महत्वपूर्ण कार्य है, फिर भी लोक प्राधिकरण के विभिन्न दृष्टिकोणों और परियोजनाओं को बनाने में जाति का एक अनूठा प्रभाव है। राजनीतिक दल नेविगेशन में जाति को याद करते हैं। जाति

भी व्यक्तिगत लोकतांत्रिक व्यवहार, राजनीतिक सहयोग और पार्टी के विकास को प्रभावित करती है। मंत्रिपरिषद के विकास और सार्वजनिक प्राधिकरण में विभिन्न राजनीतिक स्थितियों की व्यवस्था में जाति अतिरिक्त रूप से एक असाधारण भूमिका निभाती है।

आजादी से पहले, भारतीय समाज के कुछ वर्ग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े थे, जैसे एससी, एसटी और ओबीसी। उन्हें निर्भरता पर जीने की जरूरत थी और बाद में उन्हें विभिन्न मुद्दों से निपटने की जरूरत थी। तदनुसार, स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान ने इन सबसे कम सुविधा प्राप्त समूहों की उन्नति के लिए कुछ प्रावधानों को शामिल किया, जो उन समान अधिकारों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में उनके लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 46 राज्य को नियोजित जातियों और बुक कुलों की सरकारी सहायता के लिए काम करने और उनके झुकाव की रक्षा के लिए अधिक समय लेने के लिए मार्गदर्शन करता है। यह एससी और एसटी को विश्वासघात और उत्पीड़न की एक विस्तृत श्रृंखला से बचाएगा। अनुच्छेद 330 में नियोजित जातियों और आरक्षित कुलों के लिए लोकसभा सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 332 नियोजित जाति और आरक्षित कुलों के लिए प्रत्येक राज्य अधिकारी गेट टुगेदर में सीटों के आरक्षण को समायोजित करता है।

पंचायत राज पड़ोस की स्वशासन की एक प्रणाली है जो भारत में प्रचलित है। यह तय करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ोस के प्रशासन के मुद्दों को चुने हुए व्यक्तियों के माध्यम से पास की सरकार के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। पंचायत राज व्यवस्था ने भारत में एक बड़ा हिस्सा ग्रहण किया और प्रशासन की व्यवस्था को कस्बों के लोगों तक पहुँचाया।

पंचायत राज व्यवस्था देश की प्रशासन व्यवस्था को और अधिक व्यवहार्य बनाती है। किसी भी मामले में, यह जाति व्यवस्था विशिष्ट रूप से आस-पास की राजनीति को प्रभावित करती है। इस तथ्य के आलोक में उच्च जातियों का पक्ष लिया जा रहा है कि वे आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हैं और निचली जातियों को उनसे बहुत कम लाभ हुआ है। कोई कह सकता है कि यह जाति आधारित राजनीतिक व्यवस्था पंचायत राज स्थापना के स्वायत्त कामकाज को बर्बाद कर देती है। [5]

निर्णयों में जाति के कार्य के दो पहलू होते हैं। एक पार्टियों और उम्मीदवारों का और दूसरा नागरिकों का। पिछला विकल्प विशिष्ट सामाजिक और मौद्रिक हितों के नायकों के रूप में खुद को विस्तारित करने वाले नागरिकों की मदद की तलाश करता है, अंतिम विकल्प जाति के आलोक में एक पार्टी या आवेदक के लिए अपने वोट का अभ्यास करते समय। लोग जाति और धर्म के आधार पर वोट करते हैं और आवेदक के लाभों के बारे में नहीं सोचते हैं। इस शैतानी के कारण लोकतंत्र अपने आप में एक मजाक में बदल गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन नियमित लोकतंत्र धराशायी हो जाता है। दरअसल, आज भी गैर-दलित बचाए गए संविधान में चुनौती देने वाला कोई दलित प्रतियोगी नहीं मिल सकता है और राजनेता जातिविहीन समाज की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उनका मानना है कि लोगों को अलग-थलग कर देना चाहिए।

जाति कारक भारतीय पार्टी प्रणाली का एक हिस्सा है। भारत में, बहुत से जाति-आधारित राजनीतिक दल हैं जो एक विशिष्ट जाति के हितों को आगे बढ़ाने और उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। स्थानीय राजनीतिक दल, विशेष रूप से, जाति कारक से प्रचलित रूप से प्रभावित हैं। DMK और AIADMK तमिलनाडु के गैर-ब्राह्मण और गैर-ब्राह्मण राजनीतिक दल हैं।

पंजाब में अकाली दल का एक सामुदायिक चरित्र है। यह जाट बनाम गैर जाट के मुद्दे से प्रभावित है। भारत में सभी राजनीतिक दल निर्णयों में वोट प्राप्त करने के लिए जाति का उपयोग एक विधि के रूप में करते हैं। बसपा नियोजित जातियों की मदद पर निर्भर है, जबकि भाजपा काफी हद तक हिंदू जाति और विनिमय समुदाय के बीच अपनी व्यापकता पर निर्भर है।

जाति आधारित आरक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के साथ है जो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भारतीयों के अलगाव से इनकार करता है। हालांकि, अनुच्छेद 15 (4) में यह घोषणा करते हुए संशोधन किया गया है कि इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े निवासियों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई अनूठी व्यवस्था करने से नहीं रोकेगा। इस तरह संविधान हमेशा पत्राचार के दो परस्पर विरोधी विचारों का प्रतीक है, एक व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित है और दूसरा समूह अधिकारों के आलोक में।

इसके अतिरिक्त मंडल आयोग, या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग (SEBC), 1979 में प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई के तहत जनता पार्टी सरकार द्वारा भारत के "सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को अलग करने" के लिए एक जनादेश के साथ निर्धारित किया गया था। यह अनिवार्य रूप से जाति से संबंधित पिछड़े वर्गों की विशेषता है।

व्यक्तिगत वर्ग विशेषताओं के विरोध में जाति नामांकन महत्व के मुद्दे में बदल गया। इसलिए सामान्य प्रति व्यक्ति वेतन के बजाय वर्ग में कम अनुकूल स्थिति ओबीसी सूची में विचार के लिए मॉडल में बदल गई। इस तरह यह जाति भागीदारी के लिए वर्गीय लाभों को अलग करने के लिए उत्तरदायी बनने के लिए संभव हो गया, फलस्वरूप अनुकूल स्थिति प्रत्येक व्यक्ति वेतन के लिए सामान्य के बजाय विवेक के मुद्दे में बदल गई। इन पंक्तियों के साथ जाति और वर्ग क्रॉस कटिंग व्यक्तित्व बन गए। [6]

बहस

जाति व्यवस्था लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। जातियाँ अपनी स्थिति में समान नहीं हैं। वे एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं। वे एक दूसरे के इच्छुक हैं। यह तिरस्कार के आकार और घृणा के गिरते आकार का है। लोकतंत्र मूल रूप से दर्शन की दृष्टि से एक साझेदारी निर्माण अभ्यास है, फिर भी हमारे देश में मिलीभगत का निर्माण एक विशिष्ट समुदाय का दूसरे के साथ एक आपराधिक संघ था (दोनों अधिक जमीनी और गणितीय रूप से शक्तिशाली एक) विभिन्न समुदायों को कम करके आंका।

जाति व्यवस्था लोगों के एक वर्ग का लगातार गला घोंटकर सांप्रदायिक हिंसा की अग्रदूत है। यह निचली जाति के लोगों को हथियार लेने का अधिकार देता है। नक्सली, माओवादी आदि घटनाक्रम मौद्रिक असंतुलन पर निचली जाति के लोगों की दुश्मनी मात्र है। व्यवसायों का प्रतिबंधित चयन, जिसे एक जाति के भीतर और साथ ही विभिन्न जातियों द्वारा बरकरार रखा जाता है।

एक जाति एक से अधिक पारंपरिक व्यवसायों का पालन कर सकती है, फिर भी उसके व्यक्ति किसी भी मामले में उस सीमा के लिए मजबूर होंगे, आहार और सामाजिक बातचीत पर सीमाएं जो यह दर्शाती हैं कि कौन क्या उपभोग कर सकता है और किससे स्वीकार कर सकता है। इसी तरह विवाह की योजना के साथ, ये सीमाएँ उप-जाति स्तर पर लागू होती हैं, न कि केवल जाति स्तर पर। वास्तविक अलगाव देश के कई हिस्सों में है। ये सख्त और शिक्षाप्रद क्षेत्रों और पानी की आपूर्ति जैसे आवश्यक कार्यालयों सहित विकास और पहुंच की सीमाओं से जुड़े हुए हैं।

चूंकि जाति एक अच्छी तरह से स्थापित प्रणाली है जिसका आम तौर पर पालन किया जाता है, लोगों को नए महान और तार्किक मानकों को स्वीकार करना चुनौतीपूर्ण लगता है। जाति व्यवस्था लोगों को अलग करती है और यह आम तौर पर मानवाधिकार मानकों की अवहेलना करती है जिन पर संयुक्त राष्ट्र के उपकरण स्थापित होते हैं। अपने आवेदन में, जाति ने एक विशाल आबादी के उप-मानवीय व्यवहार को प्रेरित किया है। अब तक, भारत के दलितों की आबादी लगभग 17% है। [7]

विभिन्न अल्पसंख्यकों के साथ, उदाहरण के लिए, पैतृक लोग, सिख और मुस्लिम, भारत में अल्पसंख्यक आमतौर पर 85% स्थापित करते हैं; सबसे दूर। आज तक दलितों और अन्य 'निम्न' जातियों के खिलाफ हिंसा की डिग्री भयावह है। जाति

व्यवस्था के तहत प्रचारित सामाजिक भ्रष्टाचार मानव इतिहास में बहुत अधिक समान नहीं है। इस तरह का उपचार 'वर्तमान समय तक' जारी रहता है।

अलगाव जीवन के सभी हिस्सों में फैला हुआ है: चाहे काम में, स्कूली शिक्षा, भलाई, भूमि जोत, सुरक्षा, और महिलाओं के अधिकारों के सभी हिस्सों में। 'द्वितीय श्रेणी' की जातियों के मानसिक परिणामों में घोर मानवाधिकारों का दुरुपयोग और निर्दयता के साथ कार्यवाही और लोकतंत्र को प्रभावित करने वाली कार्यवाही शामिल है।

चूंकि जाति भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और विभिन्न राजनीतिक चक्रों में एक प्रचलित कारक के रूप में कार्य करती है, वैसे ही यह नेविगेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वास्तव में, राज्य के पुनर्निमाण के मुद्दे को भी एक विशेष क्षेत्र में एक जाति समूह की अनुचित शक्ति से बचने के लिए ध्यान में रखा गया था। जाति कारक राज्य सरकार की व्यवस्था और विकल्पों को प्रभावित करता है। निर्णायक दल महत्वपूर्ण जाति समूहों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी गतिशील शक्ति का उपयोग करने का प्रयास करता है।

कांग्रेस ने आम तौर पर उन लोगों को बनाए रखने का प्रयास किया है जिनके वोट बैंक के रूप में नियोजित जातियां हैं। उन जाति समूहों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय राजनीतिक शक्ति जो उनकी व्यवस्था का समर्थन या समर्थन कर सकते हैं। भारत का संविधान एक एकल एकीकृत मतदाता और जाति मुक्त राजनीति और प्रशासन की आत्मा का समर्थन करता है। किसी भी मामले में, जाति कारक आम तौर पर लोगों के व्यवहार के लोकतांत्रिक तरीके, उनके राजनीतिक हित, पार्टी संरचना और यहां तक कि विधायी नेविगेशन के निर्धारक के रूप में कार्य करता है।

जाति भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रामाणिक घटक है जिसमें विभिन्न तरीकों से भारतीय राजनीति में एक असाधारण स्थान शामिल है। भारत एक लोकप्रियता आधारित राज्य है जहां सभी लोगों को समान अधिकार और अवसर दिए जाते हैं। हालाँकि, जाति व्यक्ति की इस समानता को बाधित करती है।

जाति लोगों को उच्च और निम्न जातियों में विभाजित करती है जो भारतीय लोकतंत्र की स्वतंत्रता को कमजोर करती है। भारत एक उदार बहुमत शासन प्रणाली को अपनाता है जो समान अधिकारों, समानता और अवसर की विशेषता है। जाति और लोकतंत्र एक दूसरे को बेअसर करते हैं। चूंकि जाति व्यक्ति के अस्तित्व को बिगाड़ देती है, लोकतंत्र स्वायत्तता से स्थायी होने में सहायता करता है। दुनिया के लिए किसी व्यक्ति के परिचय से पूरी तरह से पत्थर में नहीं। जाति के साथ राजनीति के जुड़ाव से यह बिगड़ रहा है। जिस तरह से राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए जाति का इस्तेमाल करते हैं, उससे समाज में अलग-अलग शिकायतें होती हैं।

जाति व्यवस्था भारतीय राजनीतिक दलों के विभाजन के पीछे सिद्धांत व्याख्याओं में से एक है। एक नियम के रूप में, राजनीतिक हिंसा इस आधार पर उभरती है कि विभिन्न राजनीतिक दल जाति के आलोक में विभिन्न दर्शनों में अलग-थलग हैं और अपनी जाति के लिए एक वैध चिंता के आलोक में काम करते हैं। राजनीतिक दल जाति के आधार पर अपने आदर्श वाक्य और धर्मयुद्ध का प्रचार करते हैं। तो कोई यह कह सकता है कि जाति भारतीय राजनीति में एक अद्वितीय भूमिका निभाती रहेगी, यदि लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं, उम्मीदवारों के समाज के लिए काम के आधार पर नहीं, तो उस समय, भारत वास्तविक सर्वोत्कृष्टता खो देगा लोकतंत्र। [8]

जाति सिर्फ एक व्यक्तित्व चिह्न है। व्यक्ति को जाति के आधार पर कभी नहीं माना जाना चाहिए। समान सामाजिक अधिकारों और समानता वाले समाज की व्यवस्था को जाति में बेलगाम धार्मिकता को तोड़ना चाहिए और समाज के सुधार को प्राप्त करना चाहिए।

राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे जाति आधारित राजनीति को बंद करें और समाज में व्यक्ति के सुधार के लिए सोचें। हमारी स्कूल व्यवस्था भी इस जाति व्यवस्था को खत्म करने में एक असाधारण भूमिका निभाती है क्योंकि बच्चों को

निष्पक्षता और संगति दिखाई जानी चाहिए और साथ ही इस लक्ष्य के साथ कि यह जाति व्यवस्था बाद में पूरी तरह से समाप्त हो जाए। विभिन्न सामाजिक कार्यालयों, स्कूलों, व्यापक संचार को लोगों के बीच एक विस्तृत दृष्टिकोण बनाने का दायित्व दिया जाना चाहिए, इस लक्ष्य के साथ कि जाति की मानसिकता को कम किया जा सके।

लोगों को परंपरागत रूप से प्रचलित इस जाति व्यवस्था के निराशावादी प्रभावों के प्रति सचेत किया जाना चाहिए। हालाँकि, जाति की राजनीति से बचने का सिद्धांत उत्तर जाति को मारना है। साथ ही, राजनीतिक दलों को सार्वजनिक एकता और ईमानदारी के साथ बने रहने के लिए अपने छोटे-छोटे फायदों से आगे बढ़ने की जरूरत है।

निष्कर्ष

भारत में जाति और राजनीति के बीच एक मधुर संबंध है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जाति भारत में सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसने विभिन्न स्तरों पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। जातिवाद भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। लोकतंत्र और जातिवाद एक दूसरे के विरोधी हैं। भारत ने उदार बहुमत वाली शासन प्रणाली को अपनाया है, जो मुख्य रूप से एकरूपता, अवसर और समानता पर आधारित है।

जाति जन्म के प्रकाश में असमानता का प्रतिनिधित्व करती है। जाति निष्ठा अन्य जातीय कारक वास्तव में भारतीय राजनीतिक दलों को विभाजित करते हैं और हालांकि दार्शनिक विरोधाभास नहीं। राजनीतिक दौड़ का नेतृत्व जाति के आधार पर किया जाता है और सर्वेक्षणों में हिंसा आमतौर पर जाति आधारित हिंसा होती है। राजनीति जाति आधारित हो गई है और जातियों का राजनीतिकरण हो गया है। जाति समूह राजनीति को अपने फायदे के लिए संसाधनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

लोकतंत्रीकरण चक्र कम करके आंका समुदायों से नए अग्रदूत लाएगा। लोगों का मानना है कि उन्नति और जरूरत है उनकी आवाजों को ट्यून करना चाहिए। राजनीतिक अग्रदूतों को खुद को लोकतांत्रिक बनाना चाहिए और आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ईमानदार प्रयास करना चाहिए।

RÉFRENCIAS

1. चंद्रा, कंचन (जून 2005)। "जातीय दल और लोकतांत्रिक स्थिरता"। राजनीति पर दृष्टिकोण।
2. देवी नीलम, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, जर्नल ऑफ एडवांसेज एंड स्कॉलरली रिसर्च इन एलाइड एजुकेशन, 2015।
3. दत्ता, एआर (संस्करण 2013)। भारत में राजनीति: मुद्दे, संस्थान, प्रक्रियाएं। अरुण प्रकाशन, पानबाजार, गुवाहाटी-1।
4. एच. कमल, भारतीय राजनीति में जाति का महत्व, 2020, पाल आर्क की जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ इजिप्ट / इजिप्टोलॉजी।
5. कौर हरदीप, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, खंड - 5, अंक - 1, 2018, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ करंट इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च।
6. कोनेसर, ए यमुना, "भारतीय राजनीति में जाति, धर्म और जातीयता", खंड - 6, अंक - 2, मई 2018, क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल
7. राणा, एस.एस., भारतीय राजनीति में जाति और राजनीतिक दल, खंड - 5, अंक 1 मार्च 2017, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स।
8. रविवेंकट, बी और वेंकटेश उद्दगट्टी, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, 2013, एलिक्सिर इंटरनेशनल जर्नल।